

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय**  
मांग संख्या 69  
**विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग**

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2000-2001			संशोधित 2000-2001			बजट 2001-2002			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
	349.50	615.38	964.88	324.98	583.13	908.11	354.50	603.47	957.97	
	5.50	...	5.50	2.50	...	2.50	5.50	...	5.50	
	<b>355.00</b>	<b>615.38</b>	<b>970.38</b>	<b>327.48</b>	<b>583.13</b>	<b>910.61</b>	<b>360.00</b>	<b>603.47</b>	<b>963.47</b>	
1. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	3451	0.20	3.15	3.35	0.20	3.04	3.24	0.20	3.15	3.35
<b>अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान</b>										
<i>वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को सहायता</i>										
2. प्रशासन	3425	10.60	149.00	159.60	10.60	141.20	151.80	11.00	145.75	156.75
3. राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं	3425	156.75	392.00	548.75	156.75	374.10	530.85	188.50	387.55	576.05
4. वैज्ञानिक पूल	3425	...	5.62	5.62	...	5.62	5.62	...	5.80	5.80
5. अनुसंधान स्कीमें, छात्रवृत्तियां और अध्येतावृत्तियां	3425	4.50	58.48	62.98	4.50	49.50	54.00	5.50	51.10	56.60
6. प्रायोगिक संयंत्र	3425	...	1.63	1.63	...	1.58	1.58	...	1.62	1.62
7. आवासीय भवन	3425	9.60	5.41	15.01	9.60	8.00	17.60	10.00	8.40	18.40
8. आधुनिकीकरण	3425	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00	59.00	...	59.00
9. बौद्धिक संपत्ति और प्रौद्योगिकी प्रबंधन	3425	7.90	...	7.90	7.90	...	7.90	8.00	...	8.00
10. नई सहस्त्राब्दी भारतीय प्रौद्योगिकी अभिक्रम प्रोत्साहन	3425	50.00	...	50.00	25.00	...	25.00	50.00	...	50.00
<b>जोड़-वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को सहायता</b>		<b>299.35</b>	<b>612.14</b>	<b>911.49</b>	<b>274.35</b>	<b>580.00</b>	<b>854.35</b>	<b>332.00</b>	<b>600.22</b>	<b>932.22</b>
11. योजना भिन्न आर्थिक सहायता एन आर डी सी को ब्याज सम्बन्धी आर्थिक सहायता	3425	...	0.09	0.09	...	0.09	0.09	...	0.10	0.10
12. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय सूचना प्रणाली	3425	2.10	...	2.10	2.10	...	2.10	2.10	...	2.10
13. <i>अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता</i>										
13.1. सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को अनुसंधान और विकास स्कीमों के लिए सहायता	3425	3.70	...	3.70	3.70	...	3.70	3.70	...	3.70
13.2 अन्य स्कीमों/कार्यक्रम										
(i) प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता के लिए लक्षित कार्यक्रम	3425	7.20	...	7.20	7.20	...	7.20	8.40	...	8.40
(ii) प्रबन्धन प्रशासन एवं आधारिक संरचना	3425	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	2.00	...	2.00
(iii) अन्य स्कीमों	3425	5.45	...	5.45	5.93	...	5.93	6.10	...	6.10
जोड़		<b>17.35</b>	...	<b>17.35</b>	<b>17.83</b>	...	<b>17.83</b>	<b>20.20</b>	...	<b>20.20</b>
14. <i>सरकारी उद्यमों में निवेश</i>										
(i) सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	4859	2.50	...	2.50	1.00	...	1.00	2.50	...	2.50
	6859	2.50	...	2.50	1.00	...	1.00	2.50	...	2.50
जोड़		<b>5.00</b>	...	<b>5.00</b>	<b>2.00</b>	...	<b>2.00</b>	<b>5.00</b>	...	<b>5.00</b>
(ii): राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम	5425	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25
	7425	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25
जोड़		<b>0.50</b>	...	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>	...	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>	...	<b>0.50</b>
<b>जोड़</b>		<b>5.50</b>	...	<b>5.50</b>	<b>2.50</b>	...	<b>2.50</b>	<b>5.50</b>	...	<b>5.50</b>
15. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लिए परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एक मुश्त व्यवस्था	2552	30.50	...	30.50	30.50	...	30.50	...	...	...
<b>कुल जोड़</b>		<b>355.00</b>	<b>615.38</b>	<b>970.38</b>	<b>327.48</b>	<b>583.13</b>	<b>910.61</b>	<b>360.00</b>	<b>603.47</b>	<b>963.47</b>
<b>ख. सरकारी उद्यमों में निवेश</b>										
विकास शीर्ष		बजट	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि०	12859	5.00	2.50	7.50	2.00	1.60	3.60	5.00	2.45	7.45
2. राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम	13425	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
<b>जोड़</b>		<b>5.50</b>	<b>2.50</b>	<b>8.00</b>	<b>2.50</b>	<b>1.60</b>	<b>4.10</b>	<b>5.50</b>	<b>2.45</b>	<b>7.95</b>
<b>ग. आयोजना परिव्यय</b>										
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	13451	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20
2. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	13425	349.80	...	349.80	325.28	...	325.28	354.80	...	354.80
3. दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग	12859	5.00	2.50	7.50	2.00	1.60	3.60	5.00	2.45	7.45
<b>जोड़</b>		<b>355.00</b>	<b>2.50</b>	<b>357.50</b>	<b>327.48</b>	<b>1.60</b>	<b>329.08</b>	<b>360.00</b>	<b>2.45</b>	<b>362.45</b>

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं:** इसमें विभाग के सचिवालय के लिए व्यय की व्यवस्था है।

2. **प्रशासन** -सी.एस.आई.आर. मुख्यालय में स्थित विभिन्न कार्यात्मक एकक/प्रभाग राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के लिए अनुसंधान एवं विकास प्रबंध सहायता प्रदान करते हैं। मुख्यालय प्रयोगशालाओं को बाजार के और अधिक अनुकूल, आत्म-निर्भर और विश्वव्यापी तौर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए प्रेरणा देने तथा उनकी मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को दिए गए समर्थन के कारण ही इनमें से चार प्रयोगशालाओं ने आई.एस.ओ.-9000 गुणवत्ता मानक प्राप्त कर लिए हैं तथा कुछ और प्रयोगशालाएं प्राप्ति के अन्तिम दौर से गुजर रही हैं। उत्पादन में और अधिक जवाबदेही लाने के लिए लक्ष्य निर्धारण एवं निष्पादन से सम्बद्ध प्रोत्साहन की एक नई पहल शुरू की गई। मुख्यालयों तथा प्रयोगशालाओं में एल.ए.एन. के रूप में परिकल्पित तीन स्तरीय हार्डवेयर आधारवांचे का पहला चरण पूरा हो गया है। एक आई.एस. की स्थापना की पहल पर निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कार्रवाई शुरू हो गई है और परीक्षण आधार पर सी.एस.आई.आर. में और कुछ प्रयोगशालाओं में परियोजना के लिए परीक्षण के आधार पर 'कार्मिक आधारित एम.आई.एस.' की स्थापना कर दी गई है।

3. **राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं** - पूरे देश में सी.एस.आई.आर. की 40 प्रयोगशालाओं और 80 फील्ड स्टेशनों/विस्तार केन्द्रों/क्षेत्रीय केन्द्रों का एक नेटवर्क है जो वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्य में लगा है। इन विस्तार एवं क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना सी.एस.आई.आर. की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित अनुसंधान एवं विकास की क्षमताओं, तकनीकियों और प्रौद्योगिकियों को विविध प्रयोगशालाओं तक पहुंचाने तथा इससे संबंधित जानकारी एवं सूचना का प्रसार करने के लिए की गई है। इन वर्षों में सी.एस.आई.आर. ने जनशक्ति और आधारवांचे में अपार क्षमता का निर्माण किया है जिसमें अनुसंधान एवं विकास की व्यापक जानकारी सन्निहित है। सी.एस.आई.आर. की क्षमताओं को उनके अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों/कार्यकलापों को देश के सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों जोकि उन क्षेत्रों पर केन्द्रित हैं जिनमें किए गए निवेश से सी.एस.आई.आर. और देश को अधिकतम प्रतिलाभ प्राप्त हो सकता है, के साथ अधिक प्रत्यक्ष रूप से जोड़ कर श्रेष्ठतम बनाने का प्रयत्न किया गया है।

4. **वैज्ञानिक पूल:** वैज्ञानिक पूल योजना का उद्देश्य उच्च योग्यता प्राप्त भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को अस्थाई रोजगार प्रदान करना है। वर्ष 2001-2002 के दौरान पूल अधिकारियों को सहायता जारी रखने का प्रस्ताव किया गया है।

5. **अनुसंधान योजनाएं, छात्रवृत्तियां और शिक्षावृत्तियां:** सी.एस.आई.आर. अपने अतिरिक्त मुराल अनुसंधान अनुदान कार्यक्रमों के माध्यम से उच्च शिक्षा संस्थाओं जैसे कि विश्वविद्यालयों, भारतीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, आई.आई.एस. आदि में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करता है। इन कार्यक्रमों में कनिष्ठ और वरिष्ठ अनुसंधानकर्ताओं, अनुसंधान से जुड़े वैज्ञानिकों, दूसरे देशों से आने वाले वैज्ञानिकों के लिए निधियां एवं नियोजन तथा टोकटेन (टी.ओ.के.टी.ई.एन.) कार्यक्रम, जो अनिवासी भारतीय वैज्ञानिकों के विभिन्न संस्थाओं में अल्पावधि दौरों का वित्तपोषण करते हैं शामिल है। शिक्षावृत्तियां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ संयुक्त रूप से आयोजित एक राष्ट्रीय जांच प्रणाली के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

6. **प्रमुख संयंत्र:** इन संयंत्रों की स्थापना उच्च तकनीकी के उत्पादों को अल्प मात्रा में तैयार करने के लिए की गई थी जिनको वाणिज्यिक आधार पर अपना उद्योग के लिए अन्यथा रूप से अव्यवहारिक है। निम्नलिखित प्रमुख संयंत्रों के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाती रहेगी: देश की रक्षा और जरूरतों के लिए सी.जी.सी.आर.आई., कलकत्ता द्वारा विकसित सेरामिक पॉट प्रौद्योगिकी के माध्यम से कई किस्मों के ऑप्टिकल शीशों का उत्पादन।

7. **आवासीय भवन, स्टाफ क्वार्टर और अन्य सुविधाएं:** आवास प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को आकर्षित करने और उन्हें सी.एस.आई.आर. में बनाए रखने में मुख्य बाधा है। स्टाफ क्वार्टरों और वैज्ञानिकों के लिए अपार्टमेंट के रूप में मिलेजुले मकान बनाने के एक कार्यक्रम पर जोर दिया गया है जिसमें विद्यालयों अस्पतालों/डिस्पेंसरियों आदि की न्यूनतम सुविधाएं होंगी।

8. **आधुनिकीकरण:** वर्ष 1997-98 से दी गई बजटीय सहायता से सी.एस.आई.आर. प्रयोगशालाओं में उपकरणों का आधुनिकीकरण और उन्नयन तथा अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं शुरू की गई हैं। योजना के अनुसार उपकरण और अनुसंधान व विकास सुविधाओं का आधुनिकीकरण और उन्नयन किया जा रहा है।

9. **बौद्धिक सम्पदा और प्रौद्योगिकी प्रबन्धन :** 1999-2000 के दौरान आई.पी. गतिविधियां उत्साहजनक रहीं। 377 भारतीय और 199 विदेशी पेटेन्ट दाखिल किए गए। प्रौद्योगिकी प्रबन्धन क्षेत्र में सी.एस.आई.आर. ने विभिन्न भारतीय और विदेशी कम्पनियों से वार्ता की और प्रौद्योगिकियों के विपणन पर करार किए। सी.एस.आई.आर. ने न केवल सी.एस.आई.आर. में वरन अन्य एजेन्सियों को भी प्रौद्योगिकी के प्रबन्धन के क्षेत्र में विचारविमर्श करने और समाधान खोजने के लिए एक मंच को प्रोत्साहित करने में मदद की है।

10. **नई सहस्राब्दि भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व पहल (एन.एम.आई.टी.एल.आई.)**-यह केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण, 2000 में घोषित 50 करोड़ रुपए के परिव्यय से शुरू की गई एक दूरदर्शी, पथ प्रदर्शक पहल है और इसमें कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में देश के लिए विश्वव्यापी रूप से अग्रणी स्थिति प्राप्त करने के एक साधन के रूप में प्रवर्तन केन्द्रित वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय विकास को सहायता देने का लक्ष्य है। यह सरकार और निजी क्षेत्र के बीच भागीदारी पर आधारित होगा। स्कीम को सी.एस.आई.आर. द्वारा प्रचालित किया जाना है।

पत्रों, मीडिया, बौद्धिक बैठकों और पोस्टरों के माध्यम से, व्यापक राष्ट्रीय विचार विमर्श के माध्यम से, 28 सम्भाव्य क्षेत्रों की छोटी सूची तैयार की गई है। पहले चरण में 12 क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विस्तृत परियोजना प्रस्तावों को तैयार करने के लिए समूह स्थापित किए गए हैं।

#### 11. आयोजना-भिन्न सब्सिडियां

**एन.आर.डी.सी. को ब्याज सब्सिडी:** एन.आर.डी.सी. को उन्हें डी.एस.आई.आर. द्वारा 8वीं योजना के दौरान प्रदत्त ऋण पर उनके द्वारा चुकाए गए ब्याज की प्रतिपूर्ति की जानी है (ब्याज सब्सिडी के रूप में)।

12. **राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सूचना प्रणाली (एन.आई.एस.एस.ए.टी.):** एन.आई.एस.एस.ए.टी. कार्यक्रम में आठ सूचना केन्द्रों और दो स्पन्दों अर्थात् मूल्य वर्धित पेटेन्ट सूचना प्रणाली (वी.ए.जी.आई.एस.) के रसायनो और इंजीनियरिंग सबसेटों को बनाए रखा गया। 1700 से अधिक संस्थाओं में पुस्तकालय संचालन गतिविधियां शुरू की गई थी। एस. एंड टी. के लिए इंटरनेट सर्वर और विशिष्ट सर्फिंग और इंटरनेट के प्रयोग में प्रयोक्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए एक इंटरनेट स्कूल की स्थापना के लिए भी कार्रवाई शुरू की गई थी। तिमाही निरसैट न्यूजलैटर "इंफॉर्मेश टूडे एंड टूमोरो" प्रकाशित किए गए।

#### 13. अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता:

13.1 **केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड की अनुसंधान और विकास योजनाओं को सहायता:** इस कार्यक्रम के तहत एस पी की प्रणालियों के लिए एस. पी. वी प्रौद्योगिकी के विकास, माइक्रोवेव प्रयोगों के लिए इलेक्ट्रिक विकास, यू. एच. ई. से बैटरियों (सेल) के लिए उच्च उत्पादक अल्युमिनियम धात्विकीकरण के विकास, स्विचड मोड पावर प्लांट के विकास, बड़े आकार की सौर बैटरियों का प्रयोग करने वाले एस.पी.टी. के प्रक्रिया उन्नयन, नई फेरीट प्रौद्योगिकी/सामग्रियों और विस्तृत क्षेत्र बहु-क्रिस्टलाइज सिलिकान सौर बैटरियों के प्रक्रिया वर्द्धन संबंधी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को सहायता दी गई।

#### 13.2 अन्य स्कीमें / कार्यक्रम

(i) **प्रौद्योगिकीय आत्म निर्भरता के लक्ष्ययुक्त कार्यक्रम** - प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता के लक्ष्ययुक्त कार्यक्रम की योजना में प्रौद्योगिकी आत्मसातकरण, अनुकूलन और प्रदर्शन और पूंजीगत सामान विकास से सम्बन्धित गतिविधियां शामिल हैं। स्कीम के उद्देश्य आयातित प्रौद्योगिकी के आत्मसातकरण और उन्नयन में उद्योग के प्रयासों को बढ़ावा देना और पूंजीगत वस्तुओं के स्वदेशी विकास को बढ़ावा देना है। आयातित प्रौद्योगिकी के आत्मसातकरण और उन्नयन के लिए अनुसंधान, विकास, डिजाइन और इंजीनियरिंग परियोजनाओं के साथ-साथ नई और उन्नत प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रदर्शन को सहायता दी गई है। डीएसआईआर सहायता जहां उत्प्रेरक और आंशिक रही है, वहीं किसी परियोजना में अधिकांश वित्तीय अंशदान उद्योग से हुआ है। इसके अतिरिक्त वैयक्तिक स्तर पर भारतीय नागरिकों की तकनीकी उद्यमशीलता के प्रोत्साहन और संवर्धन के लिए परियोजनाओं को डीएसआईआर द्वारा पेटसर स्कीम और डीएसटी द्वारा टीआईएफएसी की "होम ग्रोन टेक्नोलोजी" स्कीम के तहत संयुक्त रूप से संचालित "तकनीकी उद्यमशीलता संवर्धन कार्यक्रम (टीईपीपी) नामक स्कीम के तहत सहायता दी जाती है।

(ii) **प्रौद्योगिकीय प्रबंध, प्रशासन और आधारवांचा-** विभिन्न सुविधाएं लागू करने तथा वांछित कार्यक्षमता स्तरों पर कार्य करने के लिए प्रौद्योगिकी बाहमन काम्पलैक्स के अन्तर्गत वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी एस आई

आर) के लिए एक भवन परिसर का निर्माण करने का प्रस्ताव है। दिल्ली शहरी कला आयोग एक भवन परिसर के डिजाइन की योजना को पहले ही स्वीकृति दे चुका है।

(iii) अन्य स्कीमें - इनमें निम्नलिखित स्कीमें शामिल हैं-

(क) उद्योग द्वारा अनुसंधान और विकास- उद्योग द्वारा अनुसंधान और विकास सम्बन्धी स्कीम (आर डी आई) उद्योग और गैर वाणिज्यिक वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठनों, उद्योग के अनुसंधान व विकास अभिक्रमों की सहायता करने और प्रोत्साहित करने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहनों और अन्य क्रियाविधियों और पहलों से सम्बन्धित है। उद्योग में लगभग 1200 आन्तरिक (इन-हाउस) अनुसंधान व विकास इकाइयां हैं, जिन्हें इस समय डीएसआइआर की वैध मान्यता प्राप्त है।

(ख) प्रौद्योगिकी के अन्तरण की प्रभावोत्पादकता बढ़ाने की योजना- प्रौद्योगिकी के अन्तरण की प्रभावोत्पादकता बढ़ाने की योजना (एसईईटीओटी) का लक्ष्य अनिवाय रूप से प्रौद्योगिकियों के अर्जन और प्रबन्धन को सुविधाजनक बनाना, प्रौद्योगिकियों और सेवाओं के निर्यात में तेजी लाना, हमारी परामर्श क्षमताओं को बढ़ाना और ग्राहकों में परामर्शी सेवाओं की उपयोगिता के बारे में जागृति बढ़ाना है। परामर्शी विकास केन्द्र (सीडीसी) की गतिविधियों में भी सहायता दी जाती है।

(ग) प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए एशियाई और प्रशान्त केन्द्र - केन्द्र संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था के रूप में कार्य करता है और डीएसआईआर इसकी गतिविधियों के लिए केन्द्रीय बिन्दु है। भारत सरकार ने केन्द्र को आतिथ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं और यह डीएसआईआर के माध्यम से वार्षिक आधार पर संस्थागत सहायता उपलब्ध कराती है।

14. सार्वजनिक उद्यमों में निवेश -

(i) सेन्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड - सेन्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल) का इलेक्ट्रॉनिक्स में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की श्रृंखला में अद्वितीय स्थान है, जो

राष्ट्रीय महत्व के विविध उच्च-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अपने उत्पादन कार्यक्रमों के लिए अपने आन्तरिक विकास कार्यक्रमों और देश की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं दोनों से अधिष्ठापित स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर जोर देता है।

कम्पनी के कार्यकलाप तीन उत्पाद श्रेणियों के रूप में संरचित किये जाते हैं जो इसके तदनुसारी व्यापार समुह भी हैं, ये निम्नलिखित हैं-

(क) सौर फोटो वोल्टेइक्स (एसपीवी) - क्रिस्टेलाइन सिलिकोन सोलर सैल, ग्रामीण, दूरस्थ क्षेत्रों और औद्योगिक प्रयोगों के लिए मोड्यूल और एसपीवी उर्जा प्रणालियां।

(ख) इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियां - रेलवे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, तेल/गैस पाइपलाइनों के लिए कैथोडिक सुरक्षा प्रणाली, प्रोजेक्शन टेलिविजन (पीटीवी) प्रणालियां और ग्रामीण स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज (आरएएक्स) और बहुत छोटे एपरटयूर (उपग्रह) टर्मिनल (वी सैट)।

(ग) इलेक्ट्रॉनिक घटक - इलेक्ट्रॉनिक मृत्तिका शिल्प, टीवी के लिए प्रोफेशनल फेराइट, दूरसंचार और रक्षा, मिसाइल राडारों के लिए माइक्रोवेव फेराइट फेज शिफ्टर्स, माइक्रोवेव घटक।

(ii) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम - राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी) जो डीएसआईआर के अधीन एक सरकारी क्षेत्र का उद्यम है, स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास, उन्नयन, लाइसेंसिंग और वाणिज्यीकरण तथा प्रौद्योगिकियों के निर्यात के काम में लगा है। निगम के उद्देश्य हैं- स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का वाणिज्यीकरण, अविष्कारों का संवर्धन और वाणिज्यीकरण, प्रौद्योगिकी अन्तरण और ग्रामीण प्रौद्योगिकी का विकास और संवर्धन।

निगम के कार्यकलापों के प्रति "नए दृष्टिकोण" के परिणामस्वरूप निगम लाइसेंसिंग के लिए अनुसंधान व विकास प्रयोगशालाओं से अर्जित प्रौद्योगिकियों में गिरावट की प्रवृत्ति को उलटने में सक्षम रही है। उन संगठनों, जिनसे ये प्रौद्योगिकियां अर्जित की गई थीं, की संख्या बहुत अधिक बढ़ाई गई है, जिसमें सीएसआईआर, आईसीएमआर, आईसीएआर, डीआरडीओ, बीएआरसी, सीपीआरआई, डीओई, आरडीएसओ, आईआईटी, विश्वविद्यालयों और अन्य बड़े सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के अधीन आने वाली प्रयोगशालाओं को शामिल किया गया है।